उत्तर प्रदेश शासन,
गोपन अनुभाग - 8
संख्या 1027/25-8-2007-39/11/70
लखनऊ : दिनांक : 10 मई, 2007

कार्यालय - ज्ञाप

शासनादेश संख्या-2345/25-9-94-39/11/70, दिनांक 07 फरवरी, 1995 के अन्तर्गत आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही करने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग तथा मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्राविधानित है।

इस सम्बन्ध में अब निर्णय लिया गया है कि संस्तुति से भिन्न कार्यवाही का सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा औचित्य पाये जाने पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जा रही ~~निम्नलिखित~~ समिति की संस्तुति प्राप्त कर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त निर्णय गोपन विभाग द्वारा दिया जायेगा।

यह समिति निम्नवत गठित की जाती है :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3- प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
5- प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग	सदस्य
6- प्रमुख सचिव, सतर्कता	सदस्य
7- सचिव, गोपन	सदस्य/संयोजक

अतः जिन मामलों में प्रशासकीय विभाग आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही का औचित्य पाते हों उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव गोपन विभाग को निर्णय हेतु भेजे जायेंगे। गोपन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा विचारोपरान्त जो संस्तुति की जाएगी उसे मा0 मुख्य मंत्री जी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(शंभु नाथ)
मुख्य सचिव।

संख्या-1027(1)/25-8-2007-17/11/70,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/अपर पुलिस महानिदेशक, अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसन्धान संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 गोयल)
सचिव। 8/5/2007